

FROM No. III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

अदालत.....

सहायक कलक्टर

(800) बासतु

मुकाम.....

खालील

बनाम.....

नया राध कर्कर

किस्म मुकदमा.....

राम कृष्ण ठाकरे

नं. 191/2022 सन् 2022

| तारीख हुकम | हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज   | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|--|--|
| 10/5/2022  | <p>प्रार्थी/वादी/अपीलान्ट के वकील श्री ..... कुम्हार के एच/सी/सी</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ..... 11, 12B</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 07/06/2022 को पेश हो।</p> | <p>सहायक कलक्टर<br/>(800) बासतु</p>                  |
| 07/06/2022 | <p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/वादी</p> <p>के नोटिस जरिये रजिस्ट्रार एडी अजवाबे</p> <p>गमे जिनको एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है।</p> <p>इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 23/06/2022 को</p> <p>पेश हो।</p>  |  |
| 23/06/2022 | <p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/वादी</p> <p>के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्ट्रार एडी</p> <p>अजवाबे गमे जिनको 30डीन ले प्रेषित</p> <p>हो समय उपस्थित हो चुका है। लावजुड</p> <p>सूचना अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन</p> <p>बार आवान्त लगाई गई, क्विंटम आवान्त 5.45</p> <p>PM पर लगाई गई, विप्रार्थी/वादी एवं गमे</p>                       |  |

सहायक कलक्टर (SDO)

बासतु

जिला - बाजौर

न्यायालय उपखण्ड अ  
नांक : वाट / 2022 / 102 /  
प्राथी

बाबुलाल उत्र खराजरास  
जाति जाट निवासी  
पटकर महरा

उनही मौर ले कोई अधिवक्ता उपस्थित  
नहीं हुआ लिहाजा विप्रायतिगों के विरुद्ध  
एडवोकेट कार्यावली प्रकल में लाई जाती है।  
प्राथी के अधिवक्ता ही एडवोकेट कलस लुनी  
गई प्राथी के अधिवक्ता द्वारा कलसा ही प्राथी  
व विप्रायतिगों के स्वातेदारी खेत सेना सेना प्राथी  
दुए ही खेतों के मध्य जो पुरानी माडे व डबो  
प्राथी दुए से जो वर्तमान में इकायिगों की वजह  
से विचार गये है जिसमे प्राथी ऊँ अपने खेत  
के सीमादों का सही ज्ञान नहीं है वा रहा है।  
खेत ही सीमादों को लेकर प्राथी व विप्रायतिगों  
के मध्य हमेशा तनाजा बना रहला है प्राथी को  
अपने खेत की सीमादों का सही ज्ञान करने हेतु  
नेचामवन्ती दरवानी आवेशक है इसलिए प्राथी का  
नेचामवन्ती आवेदन स्वीकार किया जाइत नेचामवन्ती  
आदेश दिया जावे।

अतः प्राथी के अधिवक्ता के निर्देशन  
पर प्राथी का नेचामवन्ती आवेदन स्वीकार किया  
जाइत तहसीलपर गिड़ा को इमिशनर नियुक्त  
किया जाइत आदेश दिया जाला है कि कंस  
दफत में अपने अधिवक्ता किली भी भू-समिति  
लेख निरिस्त से प्राथी के स्वातेदारी खेतों की पक्की  
नेचामवन्ती माडे पर इमिशनर खुल्कु जमा कराइत  
करे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल  
पभावली है, पभावली फंसल खुमाद डोडर  
इत नम्बर ले 84 है, दाखिल दफतर है।

उपखण्ड प्राथी की कार्य  
जिसा-वाडमेर

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1021

दिनांक : 23/6/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. बाबुलाल पुत्र खेराजराम,  
जाति जाट, निवासी पुनियों का तला,  
पटवार मण्डल पुनियों का तला,  
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

1. नगराम पुत्र वनाराम वगैरा 15,  
जाति जाट, निवासी गोदारों की ढाणी,  
पटवार मण्डल कुम्पलिया,  
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 191/2022

### आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - पुनियों का तला, पटवार मण्डल - पुनियों का तला, तहसील - गिड़ा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 623/525 रकबा 5.9408 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



(जगदीश सिंह आशिया)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
दिनांक: 23/6/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 1022 - 26

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का पुनियों का तला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री बाबुलाल पुत्र खेराजराम,
4. विप्रार्थी श्री नगराम पुत्र वनाराम वगैरा 15,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु